

The Panchayat

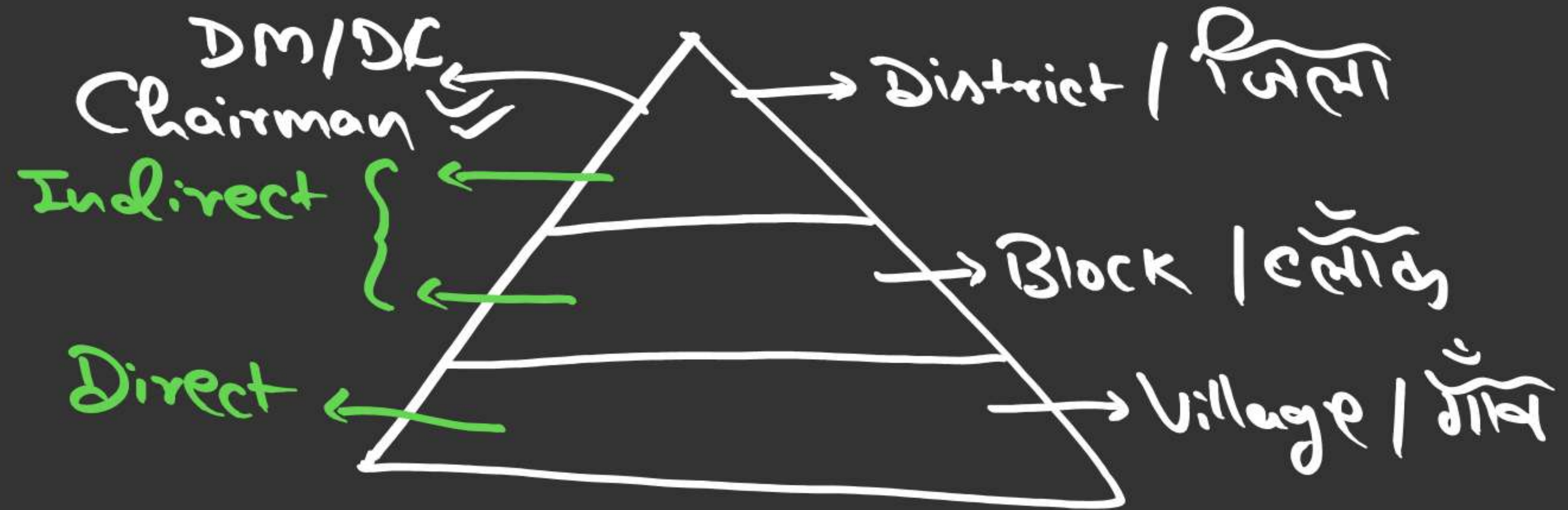
Panchayati Raj Institutions (PRIs)

पंचायती राज संस्थाएँ

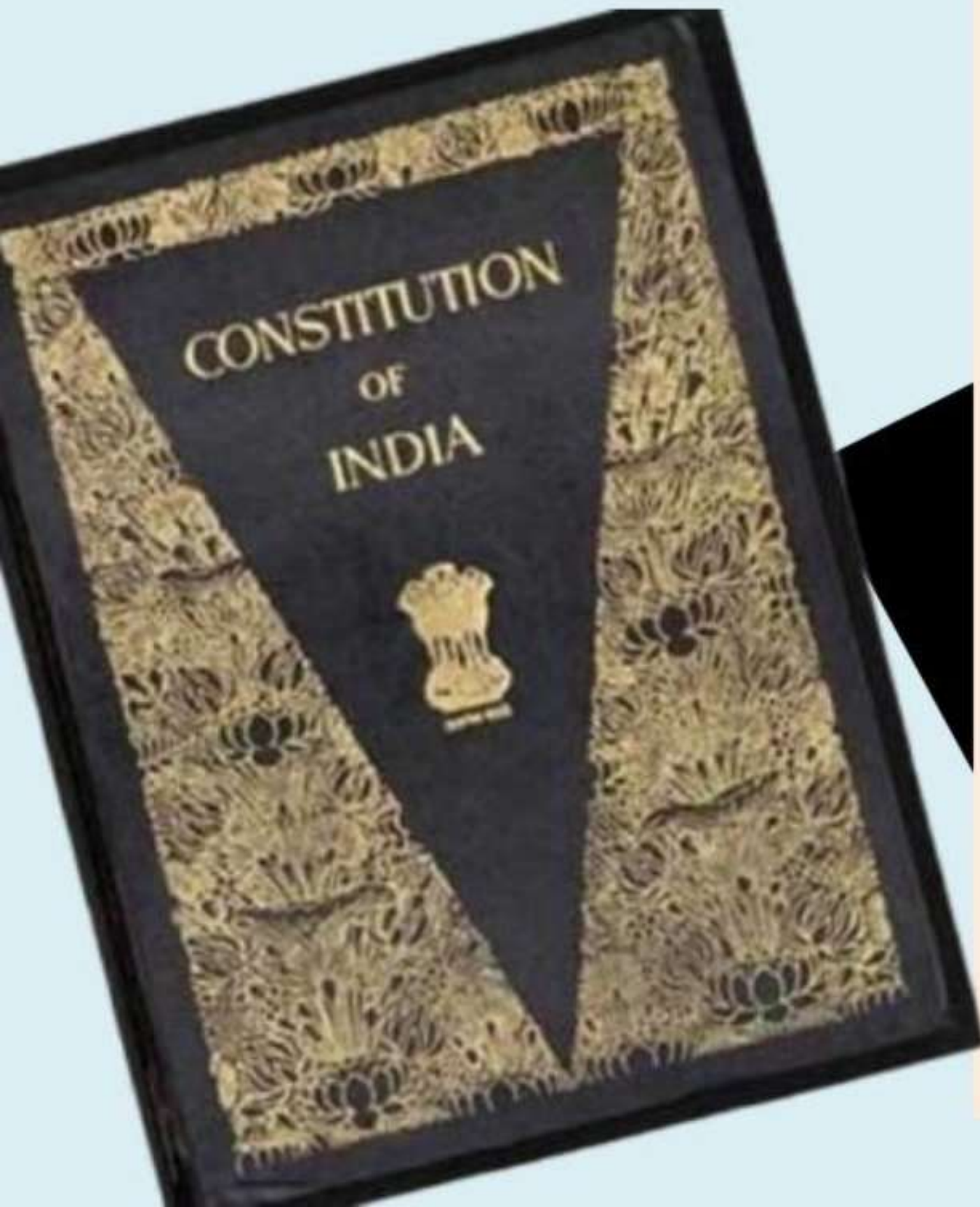


1952 → Community Development Program

1957 → Balwant Rai Mehta Comm.



73rd constitutional Amendment Act of 1992



- The act has two parts: compulsory and voluntary.
- इस अधिनियम के दो भाग हैं: अनिवार्य और स्वैच्छिक।
- **Compulsory Provisions:** must be added to state laws, which includes the creation of the new Panchayati Raj systems.
- अनिवार्य प्रावधान: इन्हें राज्य कानूनों में जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें नई पंचायती राज प्रणालियों का निर्माण शामिल है।
- **Voluntary Provisions:** on the other hand, are at the discretion of the state government.
- स्वैच्छिक प्रावधान: दूसरी ओर, राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर हैं।

1952: CDP

1957: Balwant Rai Mehta Committ.

1959: Rajasthan Applied
1st (Nagore Dist.

2nd → Andhra Pradesh

Important Article related to Panchayats



Article No.	Subject – Matter (विषय – वस्तु)
Article 243	Definitions / परिभाषाएँ ✓ Art. 40
Article 243A	Gram Sabha / ग्राम सभा ✓
Article 243B	Constitution of Panchayats / पंचायतों का गठन ✓
Article 243C	Composition of Panchayats / पंचायतों की संरचना
Article 243D	Reservation of seats / सीटों का आरक्षण ✓ → 1/3 Seats for women
Article 243E	Duration of Panchayats / पंचायतों की अवधि (5 Yrs.)
Article 243F	Disqualifications for membership / सदस्यता के लिए अयोग्यता
Article 243G	<u>Powers, authority and responsibilities of Panchayats</u> / पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व
Article 243H	<u>Powers to impose taxes by, and funds of the Panchayats</u> / पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ और उनके कोष
Article 243I	<u>Constitution of Finance Commission to review financial position</u> / वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु वित्त आयोग का गठन

■ ■ ■ Important Article related to Panchayats

Article No.	Subject – Matter (विषय – वस्तु)
Article 243J ✓	Audit of accounts of Panchayats / पंचायतों के खातों का लेखा परीक्षण
Article 243K ✓	Elections to the Panchayats / पंचायतों के चुनाव ✓
Article 243L ✓	Application to Union Territories / संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना ✓
Article 243M ✓	Part not to apply to certain areas / कुछ क्षेत्रों पर यह भाग लागू नहीं होगा
Article 243N ✓	Continuance of existing laws and panchayats / विद्यमान कानूनों और पंचायतों की निरंतरता
Article 243O ✓	Bar to interference by courts in electoral matters / चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक

Reservation of seats (Article 243 D)



- Seats for SCs and STs are reserved in every panchayat in proportion to their population.
- हर पंचायत में SC और ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती हैं। ✓ ✓



- At least one-third of all panchayat seats are reserved for women, including SC/ST women.
- कुल सीटों में से कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, जिसमें SC/ST महिलाओं की सीटें भी शामिल हैं।
- The act allows state legislatures to provide reservation of seats or chairperson posts in panchayats if they choose to.
- यह अधिनियम राज्य की विधानसभाओं को पंचायतों में सीटों या अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। ✓



■ ■ ■ Duration of Panchayats (Article 243 E)

- The act Provides for a five year term of office to the Panchayat at every level from the date of its first meeting.
- यह एक्ट हर लेवल पर पंचायत को उसकी पहली मीटिंग की तारीख से पांच साल का कार्यकाल देता है।
- However it can be dissolved before the completion of its term.
- लेकिन इसे इसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है।

■ ■ ■ Disqualifications (243 F)

- A person shall be disqualified for being chosen as or for being a member of panchayat if he is so disqualified
- कोई भी व्यक्ति पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने के लिए अयोग्य माना जाएगा यदि वह
- Under any law for the time being in force for the purpose of elections to the legislature of the state concerned.
- संबंधित राज्य के विधानमंडल के चुनावों के उद्देश्य से इस समय लागू किसी भी कानून के तहत अयोग्य है।
- Under any law made by the state legislature.
- राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत।
- 21 years to be the minimum age for contesting elections to panchayats.
- पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

State Election Commission for Each State:

- The state legislature can make laws on all matters related to panchayat elections, while the State Election Commission (SEC) conducts elections for Panchayats and Municipalities.
- राज्य विधानमंडल पंचायत चुनाव से जुड़े सभी मामलों पर कानून बना सकता है, और पंचायत व नगर निकायों के चुनाव SEC (राज्य निर्वाचन आयोग) कराता है।

Powers and Functions 243 G:

- State legislatures can give Panchayats the powers they need to function as self-governing bodies.
- राज्य विधानमंडल पंचायतों को इतना अधिकार दे सकता है कि वे स्वशासी संस्थाओं की तरह काम कर सकें।
 - ✓ The preparation of plans for economic development and social justice.
 - ✓ आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी।
 - ✓ They are responsible for implementing schemes of economic development and social justice, including the 29 subjects in the Eleventh Schedule.
 - ✓ वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय भी शामिल हैं।

Finances 243H



- The state legislature may,
- राज्य विधानमंडल,
- Authorise a panchayat to levy, collect and appropriate taxes, duties, tolls and fees.
- किसी पंचायत को टैक्स, ड्यूटी, टोल और फीस लगाने, इकट्ठा करने और इस्तेमाल करने का अधिकार दे सकता है। ✓ ✓ ✓ ✓
- Assign to a panchayat taxes, duties, tolls and fees levied and collected by the state government
- राज्य सरकार द्वारा लगाए और इकट्ठा किए गए टैक्स, ड्यूटी, टोल और फीस किसी पंचायत को सौंप सकता है। ✓
- Provide for making grants-in-aid to the panchayats from the consolidated fund of the state.
- राज्य के कंसोलिडेटेड फंड से पंचायतों को ग्रांट-इन-एड देने का प्रावधान कर सकता है।
- Provide for the constitution of funds for crediting all money of the panchayats.
- पंचायतों के सभी पैसे जमा करने के लिए फंड बनाने का प्रावधान कर सकता है।



Finance Commission 243 I

- Every five years, the Governor must set up a Finance Commission to review the financial position of Panchayats and give recommendations.
- राज्यपाल हर पाँच साल में एक वित्त आयोग गठित करते हैं, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर सिफारिशें देता है।



Audit of Accounts 243 J

- State legislature may make provisions for the maintenance and audit of panchayat accounts.
- राज्य विधानमंडल पंचायत खातों के रखरखाव और ऑडिट के लिए प्रावधान बना सकता है।



Application to Union Territories 243 L

- The president may direct the provisions of the act to be applied on any union territory subject to exceptions and modifications he specifies.
- राष्ट्रपति इस एक्ट के प्रावधानों को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू करने का निर्देश दे सकते हैं, जिसमें वे कुछ छूट और बदलाव बता सकते हैं।
- **Exempted States and Areas:** The Act does not apply to Nagaland, Meghalaya, Mizoram, and certain tribal or Scheduled Areas.
- छूट वाले राज्य और क्षेत्र: यह अधिनियम नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम तथा कुछ अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता।
- The hill area of Manipur for which a district council exists and
- मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र जिसके लिए एक जिला परिषद है और
- Darjeeling district of West Bengal for which Darjeeling Gorkha Hill Council exists
- पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला जिसके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है



■ ■ ■ Bar to interference by courts 243 O

- No panchayat election can be challenged except through an election petition filed before the authority designated by the state legislature.
- पंचायत चुनाव को केवल राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के समक्ष चुनाव याचिका दाखिल करके ही चुनौती दी जा सकती है।



PESA Act of 1996



Objectives of PESA Act

- To extend the provisions of Part IX to the scheduled areas.
- अनुसूचित क्षेत्रों में भाग IX के प्रावधानों का विस्तार करना।
- To provide self-rule for the tribal population.
- जनजातीय आबादी को स्वशासन प्रदान करना।
- To have village governance with participatory democracy.
- भागीदारी लोकतंत्र के साथ ग्राम शासन स्थापित करना।
- To evolve participatory governance consistent with the traditional practices.
- पारंपरिक प्रथाओं के अनुरूप सहभागी शासन प्रणाली विकसित करना।
- To preserve and safeguard traditions and customs of tribal population.
- जनजातीय समुदाय की परंपराओं और रीति-रिवाजों को संरक्षित और सुरक्षित करना।
- To empower panchayats with powers conducive to tribal requirements.
- पंचायतों को जनजातीय आवश्यकताओं के अनुरूप शक्तियाँ प्रदान करना।
- To prevent panchayats at a higher level from assuming powers and authority of panchayats at a lower level.
- उच्च स्तर की पंचायतों को निम्न स्तर की पंचायतों की शक्तियाँ और अधिकार अपने हाथ में लेने से रोकना।



Evolution of Panchayati Raj (पंचायती राज का विकास)



- The first committee on Panchayati Raj was the Balwantrao Mehta Committee (1957).
- पंचायती राज पर पहली समिति बलवंतराय मेहता समिति थी, जिसे 1957 में नियुक्त किया गया था।
- It was set up to review the Community Development Programme (1952) and National Extension Service (1953).
- इसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) की समीक्षा के लिए बनाया गया था।
- It recommended a three-tier Panchayati Raj system: Gram Panchayat (village), Panchayat Samiti (block), and Zila Parishad (district).
- इसने तीन-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की: ग्राम पंचायत (गांव), पंचायत समिति (ब्लॉक) और जिला परिषद (जिला)।
- These tiers should be organically linked through a device of indirect elections.
- ये स्तर अप्रत्यक्ष चुनावों के ज़रिए आपस में जुड़े होने चाहिए।
- The village panchayat should be constituted with direct elections
- ग्राम पंचायत का गठन सीधे चुनावों से होना चाहिए।



Evolution of Panchayati Raj (पंचायती राज का विकास)



Balwant Rai Mehta Committee

बलवंत राय मेहता समिति (1957)



- Panchayat Samiti and Zilla Parishad: constituted with indirectly elected
- पंचायत समिति और जिला परिषद: अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों से गठित।
- Chairman of the Zilla Parishad: District collector
- जिला परिषद का अध्यक्ष: जिला कलेक्टर
- Most Indian states set up PRIs by the mid-1960s based on the Balwant Rai Mehta Committee's recommendations.
- बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर 1960 के मध्य तक अधिकांश राज्यों में PRIs स्थापित की गईं।
- Rajasthan was the first state in India to establish PRIs in the year 1959 (Nagore village)
- राजस्थान भारत का पहला राज्य था जिसने 1959 में PRIs की स्थापना की।
- Andhra Pradesh was the second state in India to establish PRIs in the same year 1959
- आंध्र प्रदेश उसी साल 1959 में PRIs स्थापित करने वाला भारत का दूसरा राज्य था।

Ashok Mehta committee (1977)



- In 1977, the Janata Government formed the Ashok Mehta Committee on Panchayati Raj.
- 1977 में जनता सरकार ने पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन किया।
- It submitted its report in August 1978 and made 132 recommendations.
- इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और 132 सिफारिशें कीं।
- It recommended replacing the three-tier system with a two-tier system: Zila Parishad and Mandal Panchayat (group of villages with 15,000–20,000 population).
- इसने तीन-स्तरीय व्यवस्था की जगह दो-स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की: जिला परिषद और मंडल पंचायत (15,000–20,000 जनसंख्या वाले गाँवों का समूह)।
- District as first point for decentralization under popular supervision below the state level.
- राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत विकेंद्रीकरण के लिए जिले को पहला बिंदु बनाया जाए।

Ashok Mehta committee (1977)



- Official participation of political parties at all levels of panchayat elections.
- पंचायत चुनावों के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी।
- Compulsory powers of taxation to PRIs to mobilise own financial resources. ✓
- अपने वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए PRIs को अनिवार्य कराधान शक्तियां दी जाएं। ✓
- Regular social audit by a district level agency and by a committee of legislators to ascertain spending mandate.
- खर्च के जनादेश का पता लगाने के लिए जिला स्तरीय एजेंसी और विधायकों की एक समिति द्वारा नियमित सामाजिक ऑडिट।
- Elections should be held within six months from the date of supersession, if any
- यदि कोई हो, तो पद से हटाने की तारीख से छह महीने के भीतर चुनाव होने चाहिए।
- Minister for Panchayati raj in the state council of ministers.
- राज्य मंत्रिपरिषद में पंचायती राज मंत्री।
- Reservation of Seats for SCs and STs on the basis of their population. ✓
- उनकी आबादी के आधार पर SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण।
- Constitutional recognition should be accorded to the PRIs, which will ensure sanctity and stature and an assurance of continuous functioning.
- PRI को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, जिससे पवित्रता और कद सुनिश्चित होगा और लगातार काम करने का आश्वासन मिलेगा।

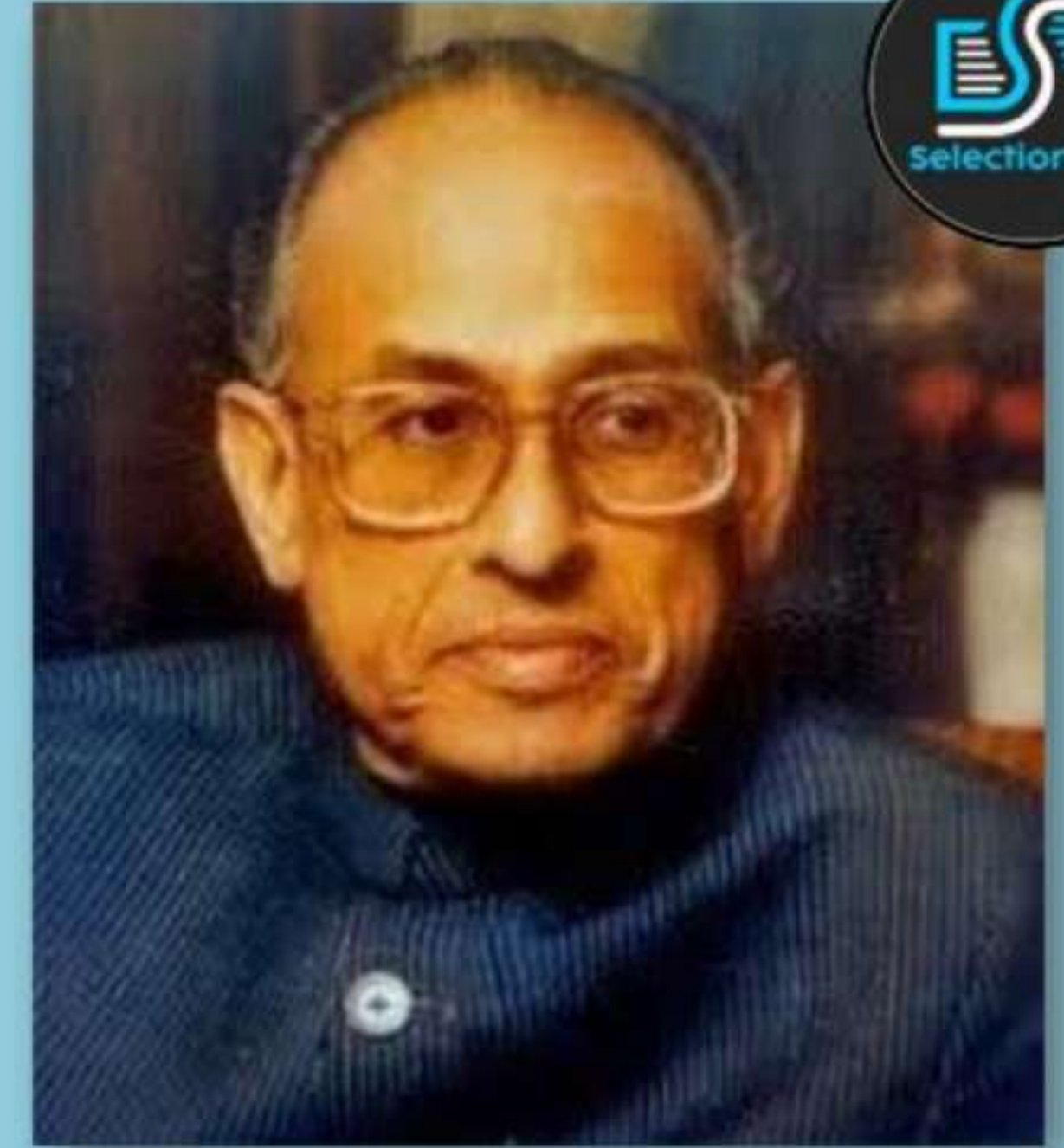
G. V. K. Rao committee (1985)

- Committee to review the existing “Administrative Arrangements for Rural Development and Poverty Alleviation Programmes”.
- मौजूदा “ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था” की समीक्षा करने वाली समिति।
- Zilla Parishad (District level body) should be of pivotal importance in the scheme of democratic decentralisation.
- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना में जिला परिषद (जिला स्तर का निकाय) का मुख्य महत्व होना चाहिए।
- It suggested creating the post of District Development Commissioner as the CEO of the Zila Parishad and head of all district-level development departments.
- इसने जिला विकास आयुक्त का पद बनाने की सिफारिश की, जो जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो और सभी जिला-स्तरीय विकास विभागों का प्रमुख हो।
- Regular elections to the Panchayati Raj institutions
- पंचायती राज संस्थाओं के लिए नियमित चुनाव



L M Singhvi Committee (1986) ✓

- In 1986, the Rajiv Gandhi Government set up the L.M. Singhvi Committee to prepare a concept paper on strengthening Panchayati Raj for democracy and development.
- 1986 में राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज को लोकतंत्र और विकास के लिए मज़बूत बनाने हेतु कॉन्सेप्ट पेपर तैयार करने के लिए एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया।



Recommendations/सिफारिशें :

- The panchayati Raj institutions should be constitutionally recognized , protected and preserved.
- पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए और उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए।
- Nyaya Panchayat should be established for a cluster of villages.
- गाँवों के समूह के लिए न्याय पंचायतें स्थापित की जानी चाहिए।
- The village panchayats should have more financial resources.
- ग्राम पंचायतों के पास ज़्यादा वित्तीय संसाधन होने चाहिए।
- It recommended setting up judicial tribunals in each state to resolve disputes related to PRI elections, dissolution, and functioning.
- इसने प्रत्येक राज्य में न्यायिक अधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की, ताकि PRI के चुनाव, विघटन और कार्यप्रणाली से जुड़े विवादों का निपटारा हो सके।

Thungon Committee (1988)



✓✓○

1992

- In 1988, a sub-committee of the consultative Committee of Parliament was constituted under the chairmanship of P.K. Thungon. ✓
- 1988 में, संसद की सलाहकार समिति की एक सब-कमेटी पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में बनाई गई थी।



Recommendations/सिफारिशें:

- To examine the political and administrative structure in the district for the purpose of district planning.
- ज़िला प्लानिंग के मकसद से ज़िले में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करना।
- Constitutional recognition to Panchayati Raj bodies.
- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देना।
- Three-tier system of PRIs with panchayats at the village, block and district levels.
- गांव, ब्लॉक और ज़िला लेवल पर पंचायतों के साथ PRIs की तीन-स्तरीय प्रणाली।
- Zilla Parishad should act as the pivot of planning and development agency in the district.
- ज़िला परिषद को ज़िले में प्लानिंग और विकास एजेंसी के मुख्य केंद्र के रूप में काम करना चाहिए।



Thungon Committee (1988)



- Fixed tenure of five years to PRIs.
- पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पांच साल तय किया गया है।
- The maximum period of super session of a body should be six months.
- किसी संस्था को सुपरसीड करने की अधिकतम अवधि छह महीने होनी चाहिए।
- A detailed enumerations of subjects for Panchayati Raj should be prepared and incorporated in the Constitution.
- पंचायती राज के लिए विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार की जानी चाहिए और उसे संविधान में शामिल किया जाना चाहिए।
- Reservation of seats in all the three-tiers – SC, ST, Women.
- तीनों स्तरों पर सीटों का आरक्षण – SC, ST, महिलाएँ।
- State finance commission should be set-up in each state.
- हर राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए।
- Chief executive officer of the Zilla Parishad- district collector.
- जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी - जिला कलेक्टर।





Gadgil committee (1988)



- The Committee on Policy and Programmes.
- पॉलिसी और प्रोग्राम पर कमेटी।
- Constitutional status should be bestowed on the Panchayati Raj institutions.
- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए।
- Three-tier system of Panchayati Raj with panchayats at the village, block and district levels.
- गांव, ब्लॉक और जिला लेवल पर पंचायतों के साथ पंचायती राज की तीन-स्तरीय प्रणाली।
- Fixed five years term of Panchayati Raj institutions.
- पंचायती राज संस्थाओं का निश्चित पांच साल का कार्यकाल।

